उत्तर प्रदेश शासन
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या- 145 /78-1-2018-87 आई0टी0/2014
लखनऊः दिनांक: 01 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप सँख्या 870/78-1-2014-87आई0टी0/2014, दिनांक 29-08-2014 द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति-2014 के बिन्दु संख्या 3.8.2 में निहित व्यवस्था के अनुपालन में एक सशक्त समिति का गठन किया गया था।

2- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1134/78-1-2017-87आईटी/2014 दिनांक 21 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा शासनादेश संख्या 1621/78- 1-2016-123 आईटी/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 द्वारा यथासंशोधित "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014" को अवक्रमित करती है।

3- "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" के बिन्दु 3.6 में भी सन्दर्भगत नीति की प्रगति पर निगाह रखने और उसके सफल निष्पादन का अनुश्रवण करने हेतु एक सशक्त समिति के गठन की व्यवस्था है, जिसके अनुपालन में निम्न प्रकार से सशक्त समिति का गठन किया जाता हैः-

1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
13	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य

4- उक्त सशक्त समिति का अधिकार-पत्र (Charter) निम्नवत् होगा:-

- अनुश्रवण एवं सुनिश्चित करना कि सम्बन्धित आदेशों/अधिसूचनाओं तथा संशोधनों को ससमय जारी कर दिया जाये।

- नीति के अन्तर्गत भविष्य में मांग तथा औद्योगिक परिदृश्य के आलोक में नये इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन हेतु अनुमोदन। नव-घोषित इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन में केस-टू-केस आधार पर निवेशकों को प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा में शिथिलता पर विचार।
- रू 200 करोड से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं पर स्वीकृति हेतु केस-टू-केस आधार पर विचार एवं माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु अनुशंसा।
- इस नीति से सम्बन्धित मामलों में अन्तर्विभागीय सामन्जस्य (Inter Departmental coordination) स्थापित कर आवश्यकतानुसार निवेशकों की कठिनाइयों का निवारण।
- समस्त स्तरों पर कार्यान्वयन से सम्बन्धित बिन्दुओं पर हल निकालना।

5- यूपीएलसी उपरोक्तानुसार सशक्त समिति की बैठक आयोजित कराने की व्यवस्था करेगी तथा बैठक के पूर्व वांछित सूचनाओं को तैयार कराकर समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी एवं बैठक का कार्यवृत्त तैयार कराकर अग्रिम कार्यवाही करेगी।

(संजीव सरन)
o/c अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 145 (1)/78-1-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3 कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5 सशक्त समिति के समस्त सदस्यगण।
6 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
7 अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।
8 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी 10 अशोक मार्ग, लखनऊ।
9 प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को/ श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/ अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
10 राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
11 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज बहादुर)
o/c उप सचिव।